

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

2012/00018

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

वकुल फरींग उपस्थित। समय-पाहले ही न्यायलिंग मे
एक अवसर दिया जाता है पत्रावली वास्ते कस
T.I. हेतु दिनांक 15/9/17 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

15/9/17 वकुल फरींग उपस्थित। कस हेतु समय-पाहले ही एक
अवसर-न्यायलिंग मे दिया जाता है पत्रावली वास्ते
कस T.I. हेतु दिनांक 17/11/17 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

17/11/17 वकुलार फरींग उपस्थित। अर्थात् पत्र धारा 212 राब
कारण अर्थात् पर कस सुनी गई। पत्रावली का आवलोकन
दिया गया ताप आवलोकन प्रार्थना पत्र मे वरिष्ठ लखो पर
व दस्तावेजी साक्ष के अनुसार जर्जिंग के हक मे प्रथम हस्ति
कस व सुदुलियत का सन्तुलन व शर्तीय शक्ति का सिद्ध होना
पाया जाता है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
वाब कारण अर्थात् अर्थात् रूप से अर्थात् के विरुद्ध लीकर
दिया जाकर अर्थात् के परिचे अर्थात् निषेधाज्ञा से
मूल वाद के निस्तारण तक पाकड किया जाता है कि अर्थात्
की विवादित भूमि मौजा ग्राम सयाना लखीलिंगपनगर के
द्वारा नम्बर 3527 के कोई व्यवधान पैदा नही करे लाया ना
किसी प्रकार का निर्माण करे। पक्षकारों लखी अर्थात् सयाना
वदन करे। मिलावट केसल सुमार होना नम्बर 3 का हो

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

